दैनिक न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शनिवार 19 अक्टूबर 2024

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर मंगाए गए दावा-आपत्ति

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र जगतपुर ए वार्ड क्रमांक 4 में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए जारी प्राविधिक/अनंतिम मूल्यांकन पत्रक पर 21 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2024 सायं 5.30 बजे तक दावा-आपत्ति मंगाए गए है। दावा-आपत्ति हेतु आवेदन सीधे परियोजना कार्यालय में अथवा डाक के द्वारा जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

तत्काल नियुक्ति देने की मांग पर अड़े एसआई भर्ती के अभ्यर्थी, गृहमंत्री के बंगले में डाला डेरा

रायपुर (आरएनएस)। परीक्षा परिणाम जारी नहीं होने से नाराज छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर एसआई परीक्षा के परीक्षार्थी गृह मंत्री विजय शर्मा के घर पर पहुंच गए और उनके बंगले में ही रात गुजारी। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परीक्षा का परिणाम और नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक बंगले में रहेंगे। गृह मंत्री ने अपने बंगले में रात गुजारने की व्यवस्था की थी। बता दें कि एसआई परीक्षा के परीक्षार्थी जिन्होंने इसका एग्जाम दे दिया है। वो रिजल्ट की आस को लेकर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने पहले भी रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। उसके बावजूद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इस मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को आश्वासन दिया था कि दिवाली तक हाई कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा।

रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान 24 तक, प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में होगा फैसला

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच हो सकती है। इस विधानसभा सीट के लिए 20 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया गया है। चर्चा है कि इसके बाद प्रत्याशी का नाम जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है। प्रत्याशी चयन को लेकर पहले से तय संगठनात्मक कार्यक्रमों में बदलाव किया जा सकता है। क्षेत्र के प्रभारियों को भी अपने-अपने क्षेत्र में एक्टिव होने को कह दिया गया है। रायपुर दक्षिण में चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। ऐसे में अब कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले ही दावेदार खुलकर सामने आएंगे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही दावेदार भी सूचीबद्ध किए जा सकते हैं।

सूने मकान से 15 हजार पार

रायपुर (आरएनएस)। नया हाउस गोंदवारा स्थित सूने मकान का ताला तोडक़र अज्ञात चोर ने आलमारी में रखे नकदी 15 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थिया की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया गुंजा देवी 34 वर्ष नया हाउस गोंदवारा की रहने वाली है। प्रार्थिया ने थाना में शिकायत किया कि अज्ञात चोर ने प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोडक़र आलमारी में रखे नकदी 15 हजार रुपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

सुचारू यातायात के लिए सड़कों पर अवैध पार्किंग को लेकर लगातार कार्यवाही रखें जारी -कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

- नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के विरुद्ध तेजी से कार्यवाही जरूरी-पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल
- कलेक्टर ने कहा जागरूकता पखवाड़ा तक सीमित न रखें साइबर अवेयरनेस कार्यक्रम, आगे भी निरंतर जारी रखें
- सोशल मीडिया में अफवाहों पर तुरंत उठाएं एहतियाती कदम
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने लॉ एण्ड आर्डर को लेकर ली समीक्षा बैठक

रायगढ़

कलेक्टर गोयल ने कहा है कि नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे में मालवाहक गाडिय़ों के अवैध पार्किंग से दुर्घटना की संभावना होने के साथ ही यातायात भी बुरी तरह प्रभावित होता है। इसको लेकर लगातार जांच और कार्यवाही चलती रहे। उद्योगों को भी इसको लेकर सचेत करें। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल व पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी एसडीएम व एसडीओपी के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर गोयल ने कहा कि उद्योगों के साथ ही सड़कों पर चलने वाले ढाबों को भी समुचित पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित करें। जिससे सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा न हो।

कलेक्टर गोयल ने पुलिस द्वारा रात्रि गश्त किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से रात्रि गश्त करें। पेट्रोलिंग का रूट बदलते रहें जिससे क्षेत्र के सभी इलाके कवर हों। इससे रात के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी होती रहेगी। इसके साथ ही बाहर से व्यवसाय करने के लिए जिले में पहुंचे लोगों का भी एहतियात के लिए वेरिफिकेशन जरूर कर लें। कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग व्यवसाय की आड़ में रेकी कर वारदात को अंजाम देते हैं। वेरिफिकेशन से ऐसे लोगों पर नजर रखी जा सकेगी।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि साइबर फ्रॉड को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान में सभी की सहभागिता रही। इसे सिर्फ साइबर जागरूकता पखवाड़ा तक सीमित नहीं रखना है। सभी विभाग अपने स्तर पर इस अभियान को लगातार आगे लेकर जाएं। साइबर अपराधों को लेकर जन मानस में जितनी जागरूकता आएगी, वे सतर्क रहेंगे और साइबर ठगी का शिकार होने से बचेंगे।

बैठक में एडीएम संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम, डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रभात पटेल, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय उत्तम प्रताप सिंह, एसडीएम खरसिया डॉ.प्रियंका वर्मा, एसडीएम घरघोड़ा रमेश कुमार मोर, एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, एसडीएम लैलूंगा अक्षा गुप्ता सहित, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नारकोटिक्स के मामलों पर तेजी से कार्यवाही जरूरी

नशीली दवाओं को लेकर प्वाइंटर कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने दिए। उन्होंने कहा कि काउंटर से प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मिलने वाली दवाओं के अवैध रूप से बिक्री पर संयुक्त दल बनाकर कड़ी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स के मामलों में तेजी से कार्यवाही की जाए। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली गई। कलेक्टर गोयल ने कहा कि आबकारी प्रावधानों के तहत अवैध शराब के बिक्री पर कार्यवाही की जाए।

सोशल मीडिया में अफवाहों पर तुरंत उठाएं एहतियाती कदम

कलेक्टर गोयल ने अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के अफवाह और फेक न्यूज पर तुरंत संज्ञान लेकर वस्तु स्थिति स्पष्ट करें तथा एहतियाती कदम उठाएं। जिससे किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था एवं आपसी सौहाद्र्र के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी एसडीएम, एसडीओपी तहसीलदार, थाना प्रभारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।

अंधविश्वास के चलते दो युवकों की मौत

सक्ती | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। अंधविश्वास के चलते दो युवकों की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य चार सदस्यों की हालत गंभीर है, उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना से पूरे इलाके में हडक़ंप मच गया है. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है. यह पूरा मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र के तांदुलडीह गांव का है। जानकारी के अनुसार, तांदुलडीह गांव में एक ही परिवार के 6 लोग कई दिनों से घर में कैद थे और कोई भी बाहर नहीं आ रहा था. बुधवार शाम को गांव वालों को घर में अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने डायल 112 को सूचना दी. डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया. जब परिवार वालों ने दरवाजा खोला, तो टीम ने देखा कि दो युवक बेहोश पड़े थे. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात परिवार के 6 लोग एक बाबा का फोटो लेकर साधना कर रहे थे, जिनमें तीन लडक़े, दो युवतियां और उनकी मां शामिल थी. परिवार के लोग कई दिनों से खाली पेट साधना कर रहे थे और खुद को घर में बंद कर रखा था. साधना के दौरान ही दो युवकों की मौत हो गई. जबकि परिवार के अन्य चार सदस्यों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अस्पताल में भर्ती परिवार के दो सदस्य विक्षितों की तरह हरकत कर रहे हैं. यह मामला बुधवार को गांव वालों की सूचना के बाद सामने आया। हालांकि घर में साधना कर रहे युवकों की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई यह जांच का विषय है. पुलिस पंचनामा कार्रवाई कर जांच में जुट गई है. पीएम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज, तय प्रक्रिया का लाभ लेकर बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट

- सिर्फ ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं शासकीय अस्पताल को जन्म मृत्यु के पंजीयन के लिए किया गया है अधिकृत
- फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने से बचें

रायगढ़

आज जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र एक अति आवश्यक दस्तावेज बन गया है। स्कूल में दाखिला से लेकर, आधार कार्ड बनवाने, बीमा क्लेम और जमीन जायदाद के वारिसान तय करने में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र ही वैध दस्तावेज माना जाता है। इसलिए इसे बनवाने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। बच्चे के जन्म अथवा परिजन के मृत्यु होने पर 21 दिवस के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना बिलकुल नि:शुल्क है।

प्रमाण पत्र के लिए ऐसे आवेदन करें- अगर जन्म या मृत्यु घर पर हुआ है तो अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका अधिकारी को लिखित अथवा मौखिक में सूचना दें। अगर जन्म या मृत्यु किसी शासकीय अथवा निजी अस्पताल में हुआ है तो अस्पताल के प्रभारी ही रजिस्ट्रार को घटना की सूचना दे देंगे। सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा घटना के सत्यता की जांच कर 2 सप्ताह के भीतर नि:शुल्क जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगर जन्म या मृत्यु घर पर हुआ है और 21 दिवस के बाद रजिस्ट्रार को इसकी सूचना दिया जाये तो मामूली शुल्क (अधिकतम राशि 15 रूपये) लिया जाकर साथ में पंचनामा, शपथ पत्र आदि के आधार पर सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही पंजीकरण किया जाता है। यदि सूचना 21 से 30 दिन के भीतर दी जाये तो रजिस्ट्रार (ग्राम पंचायत सविच अथवा नगर पालिका अधिकारी) से, 31 से 365 दिन में जिला रजिस्ट्रार (जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी) से एवं 365 दिन के बाद के घटना के लिए तहसीलदार से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना होता है। जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के वेबसाईट dc.crsorgi.gov.in द्वारा आनलाईन माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र पुराने समय में जारी हुआ हो और हस्तलिखित हो तो राशि 05 रूपये का भुगतान कर संबंधित रजिस्ट्रार से डिजीटल प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है।

फर्जी प्रमाण पत्र से बचें- ऐसे कुछ मामले संज्ञान में आये हैं कि जानकारी के आभाव में आमजनों द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु किसी कम्प्यूटर दुकान अथवा अन्य अवैधानिक स्थानों से सम्पर्क किया जाता है तथा उनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। शासन द्वारा केवल ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय एवं शासकीय अस्पताल को भी जन्म-मृत्यु घटना के पंजीयन करने और प्रमाण पत्र देने हेतु अधिकृत किया गया है। किसी भी निजी व्यक्ति अथवा संस्थान को प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक प्रमाण पत्र में एक क्यूआर कोड छपा होता है जिसे मोबाइल द्वारा स्कैन कर उसके सही होने का जांच किया जा सकता है। सही प्रमाण पत्र को स्केन करने पर भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का वेबसाईट dc.crsorgi.gov.in का लिंक खुलेगा और नाम, पति/पिता का नाम, जन्म/मृत्यु की तिथि, स्थान, पंजीयन नम्बर एवं पंजीयन दिनांक की जानकारी प्रदर्शित होगी। फर्जी प्रमाण पत्र में क्यूआर कोड नहीं होगा या होगा तो अन्य वेबसाईट का लिंक खुलेगा।

राजस्व से जुड़े कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी -कलेक्टर

- नक्शा-बटांकन के कार्यों में लाए प्रगति
- राजस्व अधिकारी पटवारियों के कार्य की करें समीक्षा
- राजस्व न्यायालय के लंबित कार्यों को प्राथमिकता से करें पूर्ण
- आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का अविलंब करें निराकरण
- कलेक्टर गोयल ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर गोयल ने कहा कि जनसामान्य से जुड़े राजस्व के सभी कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी है। सभी राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय में लंबित सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल ने नक्शा-बटांकन की समीक्षा करते हुए नक्शा-बटांकन के कार्यो में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलदार को पटवारियों के कार्यो की समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि कार्य में बेहतर प्रगति आ सके। इस दौरान उन्होंने पटवारीवार किए गए कार्यो की समीक्षा करते हुए कार्य की शून्यता पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए संबंधित पटवारी को पत्र लिखने एवं सेवा पुस्तिका में अंकित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने डिजिटल सिग्नेचर, डायवर्सन, ई-कोर्ट, भूमि आबंटन, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, पटवारी की उपलब्धता और अभिलेख दुरूस्तीकरण, भू-राजस्व वसूली, भू-अर्जन प्रकरणों का मुआवजा भुगतान की स्थिति, आरबीसी 6-4, भू-अर्जन जैसे विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल सिग्नेचर में जिले की स्थिति बेहतर है। इस दौरान उन्होंने आधार प्रविष्टि की जानकारी ली। उन्होंने ई-कोर्ट निराकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों को अतिशीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आरबीसी 6-4 के सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकृत करना सुनिश्चित करें, ताकि उनके वारिसानों को अविलंब आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध हो सके।

कलेक्टर गोयल ने भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान की समीक्षा करते हुए कहा कि भू-अर्जन अवार्ड के अनुरूप राजस्व अधिकारी अभिलेख शुद्धता का कार्य प्राथमिकता से करें, साथ ही लंबित मुआवजा पर संबंधित विभागों से समन्वय कर कार्यवाही करें। कलेक्टर गोयल ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को भू-राजस्व कर वसूली के कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुविभागवार अवैध कालोनियों का चिन्हांकन कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी एसडीएम से पटवारी उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही ज्ञात व अज्ञात वाहनों से दुर्घटना व मुआवजा की भी जानकारी ली। इस दौरान नजूल पट्टों के नवीनीकरण, भू-भाटक वसूली, स्वामित्व योजना, सामुदायिक वन संसाधन जैसे अन्य बिन्दुओं पर भी समीक्षा की।

जाति प्रमाण पत्र बनाने में लाए तेजी- कलेक्टर गोयल ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकासखंडों में जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य धीमा है। उन्होंने सभी जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या की जानकारी लेते हुए, पात्र बच्चों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

अवैध महुआ शराब लेकर जा रहा युवक गिरफ्तार, 19 लीटर महुआ शराब जब्त

- जूटमिल पुलिस की त्वरित कार्रवाई

रायगढ़

जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मिली सूचना के आधार पर युवक दीपक सिदार (23 वर्ष) को अवैध रूप से महुआ शराब ले जाते हुए पकड़ा गया। सूचना मिली थी कि दीपक सिदार अक्सर सांगीतराई रोड से पैदल महुआ शराब लेकर रापेनडीपा की ओर जाता है। इस बार भी वह महुआ शराब लेकर पैदल जाने वाला था।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने जूटमिल पेट्रोलिंग टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने सांगीतराई नहर पुल के पास घेराबंदी कर दीपक सिदार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 19 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 1900 रुपये थी, बरामद की गई। शराब को 5-लीटर की डिब्बे और 2-लीटर की कोल्ड्रिंक की बोतल में ले जाया जा रहा था। आरोपी दीपक सिदार पिता सुशील सिदार उम्र 23 वर्ष साकिन रापेनडीपा थाना जूटमिल पर धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, आरक्षक सुशील यादव, और जितेश्वर चौहान की अहम भूमिका

परिजनों से बिछड़ी तीन साल की मासूम : चक्रधरनगर डॉयल 112 ने तत्परता से सकुशल बच्ची को परिजनों तक पहुंचाया

रायगढ़

सुबह करीब 10 बजे बोईरदादर स्टेडियम, चक्रधरनगर के सामने करीब तीन साल की बच्ची रोते हुए सब्जी विक्रेताओं को मिली। सब्जी विक्रेताओं ने तत्काल डॉयल 112 और चक्रधरनगर थाना प्रभारी को सूचित किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव ने डॉयल 112 के स्टाफ आरक्षक शांति कुमार मिरी को बच्ची की वस्तुस्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए।

मौके पर पहुंची डॉयल 112 की टीम ने बच्ची से बातचीत की, जहां बच्ची ने तोतली आवाज में अपना नाम 'नब्बू' और पिता का नाम 'राजकुमार' बताया, लेकिन घर का पता नहीं बता सकी। स्थानीय सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि वे बच्ची को पिछले दो घंटे से देख रहे थे, लेकिन कोई उसे ढूंढने नहीं आया था।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को गोद में लेकर आसपास के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया। काफी खोजबीन के बाद तिलक स्कूल के पास एक युवक ने बच्ची को पहचानकर उसे संजय नगर का निवासी बताया। संजय नगर पहुंचकर, बच्ची ने अपने घर की ओर इशारा किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे उसके घर लेकर गए। वहां बच्ची की बड़ी मम्मी ने बताया कि बच्ची के माता-पिता सुबह काम पर जाने से पहले उसे उनके पास छोड़ देते थे। संभवतः आज बच्ची उनके पीछे-पीछे निकल गई और बोईरदादर पहुंचकर रास्ता भटक गई।

पुलिस की तत्परता से बच्ची सकुशल परिजनों को सौंपी गई, जिसके लिए परिजनों ने पुलिसकर्मियों का धन्यवाद किया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव की गंभीरता और डॉयल 112 स्टाफ के त्वरित कार्रवाई से इस मामले का सफल समाधान हुआ। विशेष रूप से डॉयल 112 के आरक्षक शांति मिरी, ईआरवी वाहन चालक अशोक बरेठ, और स्थानीय युवक ऋषभ तिर्की का इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन सभी की सामूहिक कोशिशों के चलते बच्ची को सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सका।

नशा मुक्ति अभियान: ग्राम कलमी में पुलिस ने वाहन चालकों को शराब के दुष्प्रभावों और यातायात सुरक्षा पर दी अहम जानकारी

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत, आज ग्राम कलमी में पुलिस द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निरीक्षक रामकिंकर यादव के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में वाहन चालकों, खलासियों, और कोयला पार्किंग यार्ड के गार्डों को शराब के नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर निरीक्षक रामकिंकर यादव ने शराब से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शराब न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। उन्होंने समझाया कि शराब का नियमित सेवन व्यक्ति के शरीर, विशेषकर लीवर और तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है।

आर्थिक और सामाजिक नुकसान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शराब के कारण व्यक्ति अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देता है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इससे सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आंच आती है और परिवार व समाज के साथ संबंध बिगड़ते हैं।

सड़क सुरक्षा के संदर्भ में उन्होंने बताया कि नशे की हालत में वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, जिससे खुद की और दूसरों की जान पर संकट मंडराता है। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिलाते हुए, ट्रक चालकों को यातायात जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए, जिनमें यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के टिप्स दिए गए थे।

कार्यक्रम में निरीक्षक रामकिंकर यादव के साथ प्रधान आरक्षक संजय यादव और आरक्षक महेंद्र बिंझवार उपस्थित थे। बड़ी संख्या में वाहन चालक, खलासी और गार्ड भी कार्यक्रम में शामिल हुए और नशा मुक्ति तथा यातायात सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480